कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना–मैनपुर, जिला–गरियाबंद (छ0ग0)

Email- icdsmainpur18@gmail.com

क्र./ 700 /ICDS/नियुक्ति/2026–27 मैनपुर, दिनांक 03/11/2026

//प्रेस विज्ञप्ति//

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मैनपुर, जिला–गरियाबंद (छ0ग0) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 10 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाने है। रिक्त पदो की भर्ती हेतु इस कार्यालय के विज्ञापन कमांक/699/मबावि./नियु./स्था–2/2026–27 मैनपुर, दिनांक 03/11/2026 द्वारा दिनांक 05/11/2026 से दिनांक 21/11/2026 तक ऑनलाईन/ ONLINE माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

इच्छुक अभ्यर्थी ई–भर्ती पोर्टल URL:- https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से दिनांक 05.11.2026 से दिनांक 21.11.2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मैनपुर, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)
मैनपुर, दिनांक 03/11/2026

क्र./ 701 /ICDS/नियुक्ति/2026–27
प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद (छ.ग.) कीं ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जिला–गरियाबंद (छ0ग0) को समाचार पत्र मे प्रसारित करने हेतु सादर प्रेषित्।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर, जिला– गरियाबंद (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत ....., विकासखंड– मैनपुर, जिला– गरियाबंद (छ0ग0) को सूचनार्थ संप्रेषित।
6. सर्व सेक्टर पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास परियोजना मैनपुर, जिला– गरियाबंद (छ0ग0) संबंधित ग्राम के सरपंच/सचिव को पत्र तामिल कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मैनपुर, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना–मैनपुर जिला–गरियाबंद (छ0ग0)

Email- icdsmainpur18@gmail.com

परिशिष्ट –01

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्रमांक/ 699 /मबावि/नियु./स्था–2/2026–27 मैनपुर, दिनांक 03/11/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन रायपुर का पत्र क्र./728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 एवं छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर का आदेश कमांक 2304/1098/2008/मबावि/50 अटल नगर दिनांक 14.09.2023 के संशोधित निर्देशों के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना मैनपुर के निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 10 पद कुल 11 पद रिक्त होने के कारण इस पद पर नवीन नियुक्ति हेतु संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / IT / 830/2025-WCD HOD IT SECTION / नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर ऑनलाईन नियुक्ति की जानी है। अतः इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम की स्थानीय निवासी) ई–भर्ती पोर्टल URL:- https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से दिनांक 05-11-2026 से दिनांक 21-11-2026 तक नियमानुसार समस्त संलग्नक प्रमाण पत्र सहित केवल ऑनलाईन/ONLINE माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के रिक्त पद का विवरण

क्रमांक	पद रिक्त आं.बा. केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदनाम
1	झोलाराव	झोलाराव	गौरगांव	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
2	बांजीपदर	बांजीपदर	खजूरपदर	आंगनबाड़ी सहायिका
3	डेण्डूपदर 2	डेण्डूपदर	डेण्डूपदर	आंगनबाड़ी सहायिका
4	कुहीमाल	कुहीमाल	कुहीमाल	आंगनबाड़ी सहायिका
5	मुनगापदर	मुनगापदर	मटिया	आंगनबाड़ी सहायिका
6	मांझीपारा	अमलीपदर	अमलीपदर	आंगनबाड़ी सहायिका
7	गवरमुंड़	गवरमुंड़	कुल्हाड़ीघाट	आंगनबाड़ी सहायिका
8	पथरीं	पथरीं	बोईरगांव	आंगनबाड़ी सहायिका
9	खजरायन	तुहामेटा	तुहामेटा	आंगनबाड़ी सहायिका
10	खोलापारा	छिन्दौला	दबनई	आंगनबाड़ी सहायिका
11	डोंगरीपारा	गुचबहाल	गुचबहाल	आंगनबाड़ी सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिकाओं का निम्नानुसार अर्हताएं है :–

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ आंगनबाड़ी सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।

(3) आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 44 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से कि जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(4) एक वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पालना कार्यकर्ता/ सहायिका/ संगठिका/सह–सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी । एक वर्ष से कम अनुभव वाले आवेदिका को आयु सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी । ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी/शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

(5) जिस ग्राम मे पालना/आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहां पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम एवं नगरी क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

(क.) उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो ऑनलाईन आवेदन पत्र मे उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि अपलोड़ करें।

अथवा

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो अपलोड करें।

टीपः – यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

(6) आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

पदनाम	कुल रिक्त पद की संख्या	योग्यता
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	01	12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड (पूर्ववर्ती)
आंगनबाड़ी सहायिका	10	8 वीं बोर्ड

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10 वीं बोर्ड एंव इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 8 वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 5 वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगा। उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धि प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता आवेदन पर भी विचार किया जावेगा। शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं में कोई शिक्षित आवेदिका न मिलने पर साक्षर महिला की भी नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति से की जा सकती है। सहायिकाओं के चयन हेतु मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन प्रपत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर अंक दिये जायेंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा।

सहायिका पद हेतु आवेदन करते समय ग्रेड़युक्त अंकसूची (ग्रेड A, B, C एवं D) को संबंधित विद्यालय के प्राधानपाठक से ग्रेड़िग के कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांको एवं प्रतिशत सपष्ट लेख करते हुये सत्यापित कर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा ग्रेड़ युक्त अंक सूची को कुल पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करते हुये प्रति अपलोड़ नहीं किया जाता है तो अंकसूची पर उल्लेखित ग्रेड के न्यूनतम प्रतिशत के बराबर अंक प्रदाय कर मूल्यांकन किया जावेगा। अगर आवेदिकाओं द्वारा जनरल प्रमोशन वाले प्रगति पत्रक अपलोड किये जायेंगें तो उसमें कोई अंक नही दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

(7) यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखें एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा ।

(8) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

(9) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पालना कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गये है। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ करना होगा ।

स्पष्टीकरण :–

(क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा –

(1) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे अपलोड़ किया जावें।

अथवा

(2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति अपलोड करनी होंगी ।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड़ किया जा सकता है।

(घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा ।

(10) सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर अपलोड़ किये जायेंगे ।

टीप :– उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है।

(11) **अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, आदिवासी कन्या आश्रम मे आठवीं तक अध्ययनरत्, होने पर अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर दो वर्ष उपरांत अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।**

(12) **अजा/अजजा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर निर्धारित अंक की पात्रता होगी ।**

(13) **गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण के संबंध में गरीबी रेखा के नीचे जीवन** यापन करने वाले परिवार के सदस्यो को संबंधित ग्राम (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011)/नगर पंचायत/पालिका क्षेत्रों में प्रभावशील सूची से सक्षम अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा जारी गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करने पर निर्धारित अंक की पात्रता होगी ।

(14) विधवा/परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में इस ज्ञापन की कंड़िका (1.10) अनुसार प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अपलोड़ करने पर निर्धारित अंक की पात्रता होगी ।

(15) दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज अथवा ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे जिसमें पात्रता एवं अंक प्रदान करने का उल्लेख हो। **समी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न / अपलोड़ करना अनिवार्य होगा ।**

(16) पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन भरा जायें।

Scanned with OKEN Scanner

(17) आवेदन पत्र आमंत्रण की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन कर प्राविधिक/अनंतिम सूची पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड की जावेगी। जिस पर ऑनलाईन माध्यम से दावा–आपत्ति प्रमाण सहित निर्धारित समय सीमा में किया जा सकेगा।

टीपः– कार्यालयं द्वारा ऑफलाईन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(श्री वरूण सिंह नागेश)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मैनपुर, जिला– गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner